

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञापांक 80/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा श्री गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव, पिता-श्री वंशीधर प्रसाद, ग्राम+थाना- मधेपुरा, जिला- मधेपुरा को प्रदत्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1958/1956 (मधेपुरा थाना) को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई थी।

स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री राजेश कुमार, पिता- स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम-वंशीधर निवास जगजीवन रोड, थाना-मधेपुरा, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 25-07-2008 को हो चुकी है और शस्त्र दिनांक 22-04-2009 से बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा है। साथ ही स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव, पिता-श्री वंशीधर प्रसाद, ग्राम+थाना- मधेपुरा, जिला- मधेपुरा को प्रदत्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1958/1956 (मधेपुरा थाना) को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत श्री गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव, पिता-श्री वंशीधर प्रसाद, ग्राम+थाना- मधेपुरा, जिला- मधेपुरा को प्रदत्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1958/1956 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे अपने स्व0 पिता गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव को प्रदत्त एक नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1958/1956 (मधेपुरा थाना) का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव का एक नाली बन्दूक जो रसीद संख्या- 29, दिनांक 22-04-2009 से आपके प्रतिष्ठान में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे तथा वगैर अनुमति के उक्त शस्त्र संबंधितों को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री राजेश कुमार द्वारा एक नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 1958/1956 (मधेपुरा थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा के उपरान्त शस्त्र पंजी में "रद्द" प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित करेंगे।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

रत
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक.....41...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....14-02-2014.....

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

प्रतिलिपि : श्री राजेश कुमार, पिता- स्व0 गिरिधर प्रसाद श्रीवास्तव, ग्राम-वंशीधर निवास जगजीवन रोड, थाना-मधेपुरा, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

14/02/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा